

2624

2

19/5/



बेनामा तादादी : 38,13,000/-रूपये ।
 मालियत बाजारी : 38,13,000/-रूपये ।
 स्टाम्प शुल्क : 3,81,500/-रूपये ।



TESTED
 Sushil Kumar Goel
 Notary Public
 Meerut

विक्रय-पत्र ओर से श्री भरतु पुत्र श्री खचेडू निवासी ग्राम मुकरंबपुर पल्हेडा परगना दोराला
 तहसील सरघना जिला मेरठ : -----: प्रथम पक्ष {विक्रेता} ।।

व

मेसर्स इन्डस वेली प्रमोटर्स लि० { ए कम्पनी इनकोरपोरेटिड अण्डर इण्डियन कम्पनीज एक्ट,
 1956} हेड आफिस रेनबो चेम्बर्स, पी० एल० शर्मा रोड, मेरठ द्वारा निदेशक श्री संजय गुप्ता
 पुत्र स्व० श्री बार० के० गुप्ता निवासी ए-2 शास्त्री नगर, मेरठ शहर :---:द्वितीय पक्ष {क्रेता}।



277
 277

बिल्लन कर्ता
 पदि कर्ता

26



TESTED



Handwritten signature and scribbles

(2)

जो कि 1.271 हेक्टेयर (एक दशमलव दो सात एक हेक्टेयर) भूमि अर्थात 1/2 एक बटा दो भाग अज सम्पूर्ण खसरा नम्बर 485 सालिम रकबई 2.542 हेक्टेयर (दो दशमलव पाँच चार दो हेक्टेयर) लगानी 62.85 रुपये स्थित ग्राम मुकरबपुर पल्हेड़ा परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा संक्रमणीय भूमिधर हे तथा उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष विक्रेता की ओर से आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण एवं भार आदि से उक्कण तथा वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों आदि से मुक्त एवं रहित है और प्रथम पक्ष विक्रेता को अपनी उपरोक्त भूमि को विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त

Handwritten signatures and lines



Handwritten signature

Handwritten text: मिशन कर्ता... पुरि कर्ता...

Handwritten: recd

Handwritten: 2000

Handwritten: मुकरबपुर पत्

Handwritten: 02

Handwritten: लकापुरा पक्ष व

Handwritten: उपर पत्रिका

Handwritten: c/singh



01DD 454052

{3}

स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त है । कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है । प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बन्धक नहीं किया है तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है । उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है तथा उसका कोई काश्तकार शिकमी या साझी, जेरी व काबिज नहीं है तथा मोके पर प्रथम पक्ष की काश्त मौजूद है । उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में

27-7-

भारत 27-7-



भारत

मिलान ...
पु. नि. क. 2



01DD 454053

॥4॥

आज की तिथि तक कोई कार्यवाही एक्ज्यूजीशन या रिव्यूजीशन आदि की किसी न्यायालय अथवा कार्यालय में विचाराधीन नहीं है । उपरोक्त भूमि नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और उसके सम्बन्ध में धारा 10(3) व धारा 10(5) का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है । उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में अंकित है तथा विक्रेता अनुसूचित जाति का

महेश

श्री 7-
श्री 7-



महेश



महेश

विलेखन रकम
रि. कमा ...





01DD 454054

{5}

सदस्य है, इसलिये विक्रेता ने धारा 157-ए जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत श्रीमान अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ के आदेश दिनांक 25.01.2002 के द्वारा विक्रय अनुमति गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को विक्रय करने के लिये प्राप्त कर ली है और अब प्रथम पक्ष उपरोक्त भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को विक्रय करने के लिये स्वतन्त्र है, उपरोक्त भूमि का मूल्य अंकन: 38,13,000/-रूपये (अड़तीस लाख तेरह हजार रुपये) तय

मरठ
27-1-2002



मिस्टर ए. ए. ए. ए.
पु. वि. क. वि.

मिस्टर कर्मा
पु. वि. क. वि.



QJDD 454055

(6)

हे कि जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुकूल है । इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान समय में कोई आशा नहीं है । प्रथम पक्ष अन्य कृषि भूमि क्रय करना चाहते है, इसलिये इस भूमि को विक्रय कर देना उचित समझा गया है तथा विक्रय करने से सभी प्रकार से लाभ एवं भलाई दृष्टिगत है । अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुए किसी स्वत्व एवं अधिकार के,

भारत


भारत
 भारत

भारत

भारत
 भारत

भारत
 भारत



01DD 454056

{7}

चाहे उनका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्थिर मस्तिष्क एवं स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अंकन: 38,13,000/-रूपये { अड़तीस लाख तेरह हजार रूपये} विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते मेसर्स इन्डस वेली प्रमोटर्स लि०, { ए कम्पनी इनकोरपोरेटिड अण्डर इण्डियन कम्पनीज एक्ट, 1956} हेड आफिस रेनबो चेम्बर्स, पी० एल० शर्मा रोड़, मेरठ द्वारा निदेशक श्री संजय गुप्ता पुत्र स्व० श्री आर० के० गुप्ता निवासी ए-2, शास्त्री नगर, मेरठ शहर को विक्रय कर दिया और बेच डाला और समस्त विक्रय मूल्य

भरत

27.7 —
27.7 —

भरत



भरत
 27.7 —
 27.7 —

मिलान करी ...
 पु.दि. ...



180

निम्न प्रकार प्रथम पक्ष विक्रेता ने, द्वितीय पक्ष क्रेता से प्राप्त करके विक्रीत भूमि को अपने अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया । अब प्रथम पक्ष विक्रेता का कोई अधिकार या स्वत्व विक्रीत भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिए शेष नहीं रहा और ना होगा । वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ । यह विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं

27-7-1912
27-7-1912


भारत
[Fingerprint]

भारत

[Fingerprint]

[Fingerprint]

मिलान कर्ता
पुति २३३१



01DD 454058

(9)

मान्य है तथा प्रयोग होने योग्य है । कब्जा विक्रीत भूमि का स्थल पर कतई खाली का द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा क्रेता ने विक्रीत भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है । क्रेता उपरोक्त भूमि को कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु प्रयोग करने के अधिकारी रहेंगे तथा उसे अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकेंगे । किसी को कोई आपत्ति ना होनी । क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित कराने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे,

भल



77 —
77 —

भल



भल

मिलन कर्ता ...
पदि ...



॥10॥

यदि इस हेतु प्रथम पक्ष विक्रेता की सहमति अथवा राजामन्दी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेता समयानुसार पूर्ण करने के पाबन्द रहेंगे । कोई आपत्ति ना होगी । यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई ड्यूज या लगान विक्रीत भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भार मुझ विक्रेता के जिम्मे होगा ओर आज की तिथि के बाद समस्त ड्यूज एवं लगान को स्वयं क्रेता वहन करेंगे । कोई आपत्ति ना होगी । यदि अब अथवा भविष्य

मल्ल

मल्ल

मल्ल

विशेष अधिकारी
पुणे जिल्हा

भित्तिन कर्ता
पुणे कर्ता १



१११

में विक्रीत भूमि अथवा उसका कोई अंश क्रेता के अधिकार, स्वागित्त्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रीत भूमि पर कोई ऋण या भार आदि पाया जायेगा या यह बेनामा किसी न्यायालय से खण्डित अथवा मन्सूख करार पा जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता के विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी स्थिति हो, मय हर्जा व खर्चा व भविष्य में लगाई लागत सहित वापिस चुकता करने का भार प्रथम पक्ष विक्रेता तथा उनके उत्तराधिकारी सहित उनकी

—
—

मूल



मूल

मूल

निश्चय करी
पुष्टि करी

मूल



{12}

चल व अचल सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा । कोई आपत्ति ना होगी । अतः यह

विक्रय-पत्र लिख दिया कि समस्त ही जोर उचित समस्त पर काम लाने । इति ।।

विवरण प्राप्त विक्रय मूल्य :-:

{1} अंकनः 5,00,000/-रूपये { पाँच लाख रूपये } द्वारा चेक संख्या 1185105 दिनांक 02.05.2002 ई0 मोसूमा यूनिजन बैंक ऑफ इण्डिया, बेगम ब्रिज, मेरठ प्राप्त किया ।



277 -

277 -



मिस्त्रन वर्मा

पति कृतः



{13}

[2] अंकन: 5,00,000/-रूपये (पाँच लाख रूपये) द्वारा चेक संख्या 1185106 दिनांक 02.05.2002 ई0 मोसूमा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बेगम ब्रिज, मेरठ प्राप्त किया।

[3] अंकन: 5,00,000/-रूपये (पाँच लाख रूपये) द्वारा चेक संख्या 1185107 दिनांक 02.05.2002 ई0 मोसूमा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बेगम ब्रिज, मेरठ प्राप्त किया।

[4] अंकन: 5,00,000/-रूपये (पाँच लाख रूपये) द्वारा चेक संख्या 1185108 दिनांक 02.05.2002 ई0 मोसूमा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बेगम ब्रिज, मेरठ प्राप्त किया।

[5] अंकन: 5,00,000/-रूपये (पाँच लाख रूपये) द्वारा चेक संख्या 1185109 दिनांक 02.05.2002 ई0 मोसूमा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बेगम ब्रिज, मेरठ प्राप्त किया।

मरठ



मरठ

मिलान कर्ता
पु.सि. क.स.



{14}

- [6] अंकन: 3,13,000/-रुपये (तीन लाख तेरह हजार रुपये) द्वारा चेक संख्या 1185110 दिनांक 02.05.2002 ई0 मौसूमा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बेगम ब्रिज, मेरठ प्राप्त किया ।
- [7] अंकन: 5,00,000/-रुपये (पाँच लाख रुपये) द्वारा चेक संख्या 1185111 दिनांक 02.05.2002 ई0 मौसूमा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बेगम ब्रिज, मेरठ प्राप्त किया ।
- [8] अंकन: 5,00,000/-रुपये (पाँच लाख रुपये) द्वारा चेक संख्या 1185112 दिनांक 02.05.2002 ई0 मौसूमा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बेगम ब्रिज, मेरठ प्राप्त किया ।

मरठ

मरठ

मिलन शर्मा
पुरि. २००४




{15}

बन्ध विवरण :-

[1] विक्रीत भूमि कृषि की भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में दर्ज है तथा वर्तमान समय में कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु विक्रय की जा रही है ।

[2] विक्रीत भूमि के स्थल के लिए जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा निर्धारित मूल्य सूची के अनुसार सर्किल रेट 10,00,000/-रूपये प्रति हेक्टेयर है, तदानुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया ।



Handwritten scribbles and lines, possibly representing a signature or initials.

मिलान कर्ता
 पुष्टि कर्ता

मिलान कर्ता
 पुष्टि कर्ता

5000Rs. 49 17



28766

{16}

- {3} विक्रीत भूमि दो फसली है ।
- {4} विक्रीत भूमि की सिचाई प्राईवेट ट्यूबवेल द्वारा की जाती है ।
- {5} विक्रीत भूमि में बाग या पेड़ आदि नहीं है ।

277 —
277 —
मरु



277

मिलान करा
पुष्टि करा।

मिलान करा
पुष्टि करा।

18
1000Rs.



19192



{17}

[6] विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग या लिंग मार्ग अथवा जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है ।

नोट : यदि इस विक्रय-पत्र में विक्रेता को अदा किये गये चेको का भुगतान बैंक खाते में रूपया

भारत



₹ 7.7 —
₹ 7.7 —

भारत



खिलाफ कर्षा
पुष्टि कर्षा

Handwritten signature and scribbles.



18

न होने के कारण केश नहीं होंगे तो उक्त भाग का बेनामा कैंसिल माना जायेगा ।



श्री जयमाला /
(द. मन्मथ गजवान)
पुत्र मन्मथ
नि. मुनिबख पल्लेडा
तः सा.प.स. वि. म. १६

श्री अश्वरपाल सिंह
पुत्र मन्मथ
नि. मुनिबख पल्लेडा
तः सा.प.स. वि. म. १६

श्री न

श्री देवेंद्र
(द. अश्वरपाल सिंह)
पुत्र देवेंद्र
नि. मुनिबख पल्लेडा
तः सा.प.स. वि. म. १६

श्री B.R. मन्मथ
पुत्र B.R. मन्मथ
नि. मुनिबख पल्लेडा
तः सा.प.स. वि. म. १६

वहरीर तारीख : 02.05.2002 ई0 मसविदा श्री देवेंद्र कुमार गर्ग, आलेखक, मेरठ 11

D. K. Garg
L. No. - 13
Valid up to-31/3/2004



मिलान कर्ता ...
पुनि- कर्ता ...

[Signature]
JAIN
MIRWA



ATTESTED

[Signature]

Sushil Kumar Goel

Deed Writer
Meerut

प्रलेख संख्या 2684... दिनांक 2-5-2002
इस कार्यालय के पत्र संख्या 156... दिनांक 14-5-2002
द्वारा स्टाम्प पत्र की धारा के अंतर्गत
पुस्तकीकरण किया संबंधित।

[Signature]
उप-निबन्धक
हरमना 4-5



ATTESTED

[Signature]

Sushil Kumar Goel

Deed Writer

Case No-65/2002-03
प्रमाणित किया जाता है कि
पुस्तक पुनः स्थापित की गई है
श्री राजेंद्र चंद्र शर्मा
द्वारा की गयी गृहपत्र क्रमांक 2624/54
की प्रतिलिपि सही है।
Hod - श्री राजेंद्र चंद्र शर्मा
द्वारा जारी किया गया है।
श्री राजेंद्र चंद्र शर्मा

[Signature]
श्री राजेंद्र चंद्र शर्मा
26-3-2003

राज दिनांक 2-5-2002
प्रति पुस्तक संख्या - 2624 - 54
के पृष्ठ - 19/54 पर क्रम संख्या 2624
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

[Signature]
उप-निबन्धक
हरमना

2624 का पुस्तक संख्या 235/241 दिनांक
13/5/2002 का जलजोदी का

[Signature]
उप-निबन्धक
हरमना